



# वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: डी०एस०डब्ल्यू/१७६/२०२३-२४

प्रेषक,

अति आवश्यक / समयबद्ध

दिनांक : 20.11.2023

अधिष्ठाता छात्र कल्याण  
वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय  
जौनपुर।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक  
विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रम,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।

**विषय:-** दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वर्ष 2023-24 हेतु सामान्य वर्ग/पिछ़ावा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने हेतु समय-सारणी एवं दिशा-निर्देश।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्याकित विषयक सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष 2023-24 के लिये शासन द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने एवं जमा करने हेतु समय-सारणी एवं दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसके लिए निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना नितान्त आवश्यक है:-

1- विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले प्रथम वर्ष में तथा पुराने छात्र जो सामान्य वर्ग/पिछ़ावा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं जिनके माता-पिता अथवा अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रु0 2,00,000/- (दो लाख) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं के माता-पिता अथवा अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 250000 (दो लाख पचास हजार) से अधिक न हो वे नया आवेदन फार्म शासन की वेब-साइट [scholarship.up.gov.in](http://scholarship.up.gov.in) पर दिये गये निर्देश एवं नियम के अनुसार 22 सितम्बर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक भर सकते हैं।

2-जिन छात्र/छात्राओं द्वारा वर्ष 2022-23 में आवेदन फार्म भरा गया था, वे चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवीनीकरण के द्वारा आवेदन फार्म शासन की वेब-साइट [scholarship.up.gov.in](http://scholarship.up.gov.in) पर दिये गये निर्देश के अनुसार 22 सितम्बर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक भर सकते हैं उनके लिए भी बिन्दु-1 पर दिये गये निर्देश एवं नियम लागू होंगे।

3-छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित अभिलेख/प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है-

- माता, पिता, अभिभावक का आय प्रमाण पत्र तथा उसकी स्वप्रमाणित नेट कापी (नये छात्र/छात्रा आय प्रमाण-पत्र की मूल प्रति छात्रवृत्ति आवेदन फार्म के साथ संलग्न कर जमा करेंगे।)
- जाति प्रमाण-पत्र तथा उसकी स्वप्रमाणित नेट कापी।
- निवास प्रमाण-पत्र तथा उसकी स्वप्रमाणित नेट कापी। (अम्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।)
- संरक्षण में जमा शुल्क रसीद की छाया प्रति जो संरक्षण के विभागाध्यक्ष से सत्यापित हो। यदि छात्र/छात्रा ने ए०के०टी०य० के माध्यम से इस सत्र में प्रवेश लिए हों तो काउन्सिलिंग के समय जमा किए गए शुल्क रसीद की स्वप्रमाणित छाया प्रति।
- विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्र गतवर्ष के अंक पत्र की छाया प्रति (दोनों सेमेस्टर)

जो विभागाध्यक्ष से सत्यापित हो तथा जो छात्र नव प्रवेशित हैं वे अपना अंक-पत्र स्वयं प्रमाणित करेंगे।

- शासन द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार वार्षिक परीक्षा फल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्ति होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।
  - हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के अंकपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
  - छात्रावास में रहने की स्थिति में वार्डन द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।
  - चीफ प्राक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र कि छात्र/छात्रा के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है और उनके ऊपर इस सम्बन्ध में कोई जांच की कार्यवाही नहीं चल रही है।
  - छात्र/छात्रा द्वारा इस आशय का घोषणा पत्र संलग्न करना होगा कि यदि मैं वर्तमान सत्र में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण नहीं कर पाता हूँ तो प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति को वापस कर दूँगा/दूँगी।
  - बैंक पास बुक की छाया प्रति जिसमें खाता संख्या एवं आई०एफ०एस० कोड पठनीय हो।
  - छात्र/छात्रा द्वारा दिया गया रु० 10 का नोटरी शपथ-पत्र (संस्थान में प्रवेश तथा बैंक खाता के सम्बन्ध में)।
  - छात्र के माता, पिता अथवा अभिभावक द्वारा आय के सम्बन्ध में रु० 10 का नोटरी शपथ-पत्र।
  - यदि वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश एवं गत परीक्षा उत्तीर्ण होने के समय में अन्तराल हो तो अन्तराल (गैप) के सम्बन्ध में रु० 10 का नोटरी शपथ-पत्र।
  - छात्र/छात्रा द्वारा दिया गया स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र कि आवेदन फार्म में भरी गयी सभी प्रविष्टियाँ सत्य हैं और आवेदन पत्र में दिया गया कोई विवरण/तथ्य मिथ्या पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध विधि के भा०द०वि० 1960 की धारा 199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के लिये स्वयं उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।
- 4- वे छात्र जो किसी कारण पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आवेदन फार्म नहीं भर सके थे और वर्तमान में पाठ्यक्रम के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अथवा पंचम वर्ष में अध्ययनरत हैं, नये छात्र के रूप में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन फार्म भर सकते हैं। उनके लिये भी बिन्दु 1 और 3 में दिये गये दिशा निर्देश व नियम लागू होंगे।
- 5- छात्र/छात्राएं पाठ्यक्रम के जिस वर्ष (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम) में अध्ययनरत हैं उसकी सम्पूर्ण वार्षिक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन कर सकते हैं। सत्र के एक सेमेस्टर की फीस जमा करने वाले छात्र/छात्रा के आवेदन पत्र पर विचार नहीं होगा क्योंकि संस्थान में जमा वार्षिक शुल्क की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में की जाती है।
- 6- आवेदन फार्म के सभी कालम पूर्णरूप से अक्षरशः भरा जाना आवश्यक है।
- 7- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म में छात्र/छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय का नामांकन संख्या भरा जाना आवश्यक है।
- 8- सभी छात्रों के पास आधार नम्बर उपलब्ध होना चाहिये, जिन छात्रों के पास आधार नम्बर नहीं है वे प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लें।
  - जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है। तदक्रम में आधार कार्ड को अपने मोबाइल नम्बर से लिंक करा लें।
  - आधार कार्ड को बैंक एकाउन्ट से लिंक होना अनिवार्य है।
  - आधार कार्ड यदि एक से अधिक बैंक खाते से लिंक है तो यह सुनिश्चित कर लें कि सभी

बैंक खाते चालू हों और उनमें मिनिमम आवश्यक धनराशि अवश्य होने के साथ कोई भी बैंक खाता जनधन (मिनिमम सेविंग एकाउन्ट) नहीं होना चाहिए।

- हाई स्कूल अंकपत्र/प्रमाण—पत्र में अंकित अभ्यर्थी का नाम तथा उनके माता—पिता के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता पिता का नाम अपडेट करा लें।
  - हाई—स्कूल अंकपत्र/प्रमाण—पत्र में अंकित जन्म—तिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लें।
  - आधार कार्ड में यदि लिंग (जेण्डर) गलत है तो उसको शुद्ध करा लें।
- 9— सभी छात्र/छात्राएं आनलाइन आवेदन फार्म (हार्ड कापी) का तीन सेट तैयार करेंगे जिसमें से दो सेट अपने विभागाध्यक्ष के यहाँ जमा करेंगे तथा वही से उसकी प्राप्ति रसीद भी प्राप्त करेंगे। छात्र/छात्राओं के आवेदन फार्म सीधे अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में जमा नहीं किए जायेंगे।
- 10— संस्थान/विभागाध्यक्ष छात्र/छात्राओं से प्राप्त आवेदन फार्म के दो प्रति अपने यहाँ जमा करेंगे तथा प्रत्येक छात्र के आवेदन फार्म की एक प्रति शासनादेश के अनुसार अपने यहाँ 10 वर्षों तक सुरक्षित रखेंगे तथा सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अनुसार आवेदन फार्म की मूल प्रति तथा उसकी सूची वर्गवार तैयार कर प्रत्येक शुक्रवार को पूर्वान्ह 2:00 बजे तक अनिवार्य रूप से डी०एस०डब्लू कार्यालय में जमा करेंगे ताकि अगले दिवस (प्रत्येक शनिवार) को आवेदन फार्म मा० कुलपति महोदया द्वारा गठित अग्रसारण/जांच कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सके और जांचोपरान्त ऑनलाइन अग्रसारित किया जा सके।
- 11— सभी विभागाध्यक्ष इस बात का विशेष ध्यान दें कि शासनादेश के अनुसार मुस्लिम, सिख, ईसाई, व जैन धर्म के छात्र/छात्राएं अल्पसंख्यक वर्ग में ही आवेदन फार्म भरेंगे, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग में कदापि आवेदन नहीं करेंगे, अन्यथा की स्थिति में उनके आवेदन फार्म स्वीकार न किया जाय।
- 12— समस्त विभागाध्यक्ष छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म अग्रसारित करने के पूर्व जांचकर यह सुनिश्चित कर लें कि छात्र/छात्रा वर्तमान सत्र में प्रवेशित है, पूर्ण वार्षिक शुल्क जमा किया है, विगत कक्षा उत्तीर्ण/प्रमोटेड है, समस्त पूरित किये गये कालम अक्षरशः पूर्णरूप से त्रुटिरहित भरे गये हैं तथा बिन्दु 03 में दिये गये निर्देश एवं नियम के अनुसार समस्त अभिलेख संलग्न हैं।
- 13— गलत, फर्जी, त्रुटिपूर्ण आवेदन—फार्म सत्यापित/अग्रसारित करने वाले संस्थान के विरुद्ध नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत शासनादेश के अनुसार एफ०आई०आर० दर्ज कराये जाने की व्यवस्था है अतएव आवेदन फार्म सत्यापन/अग्रसारण के पूर्व पूर्ण सतर्कता अपेक्षित है।
- 14— छात्र/छात्रा के माता/पिता अथवा अभिभावक यदि वेतन भोगी हैं तो उनके नियोक्ता द्वारा निर्गत आय—प्रमाण पत्र भी आवेदन फार्म के साथ संलग्न करेंगे जिससे उनके वार्षिक आय की गणना की जा सके।
- 15— शासनादेश संख्या 1172/52-3-2017-14(72)/95टी०सी० दिनांक 07.07.2017 के बिन्दु संख्या—15 (i) के अनुसार सभी छात्र/छात्राओं को अपने छात्रवृत्ति आवेदन फार्म के साथ चीफ प्राक्टर से प्रमाणित इस आशय का घोषणा—पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष एवं पंचम वर्ष में आवेदक किसी अनुशासनहीनता की कार्यवाही की परिधि में नहीं है।
- 16— अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा/सेमेस्टर में 50 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा/सेमेस्टर में 55 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये हों वे इस योजना के पात्र नहीं हैं।
- 17— सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग द्वारा अग्रसारित/सत्यापित किये गये छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म तथा उसकी वर्गवार (छात्र/छात्रा की पृथक से) सूची 22 दिसम्बर, 2023 तक अनिवार्य रूप से अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में अपरान्ह 02-00 बजे तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- 18- शासनादेश के अनुसार यदि आपके विभाग में अध्ययनरत् कोई अपात्र छात्र/छात्रा विभागाध्यक्ष की संस्तुति/सत्यापन के उपरान्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे।
- 19- शासनादेश संख्या 101/2017/आर-1614/26-3-2017-4(358)/07टी०सी० दिनांक 23 जून 2017 के नियम-06 (xviii) के अनुसार शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। उक्त उपस्थिति प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो छात्र को भुगतानित शुल्क की धनराशि वापस करनी होगी। इस सम्बन्ध में छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म के साथ इस आशय का घोषणा-पत्र संलग्न करना होगा कि मैं वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण कर लूंगा/लूंगी यदि ऐसा करने में असफल रहता हूँ/रहती हूँ तो छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वापस कर दूंगा/दूंगी।
- 20- छात्र/छात्राओं के द्वारा आवेदन फार्म के साथ संलग्न सभी प्रपत्र को स्वप्रमाणित करना है तथा आवेदन फार्म, फोटोग्राफ, शुल्क रसीद एवं अंक पत्र को विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित करवाना होगा।
- 21- यदि कोई छात्र/छात्रा अध्ययन के दौरान संस्थान/पाठ्यक्रम छोड़कर बीच में ही अन्यत्र चला जाता है और छात्रवृत्ति आवेदन फार्म जमा किया हो तो विभागाध्यक्ष द्वारा उसकी सूचना तत्काल अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय को अनिवार्य रूप से दिया जाय ताकि सम्बन्धित छात्र/छात्रा की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि पर रोक लगवाई जा सके।  
अतः समस्त विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि अपने विभाग में अध्ययनरत् पात्र छात्र/छात्राओं को समय से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म भरने हेतु सूचित/अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

*Ashwini*  
20/11/23

(प्रो० अजय द्विवदी)  
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:-

- 1-निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
- 2-आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
- 3-वरिष्ठ आशुलिपिक वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
- 4-आशुलिपिक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ।
- 5-सहा० कुलसचिव, छात्रवृत्ति के सूचनार्थ।
- 6-विश्वविद्यालय वेबसाइट प्रभारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपरोक्त सूचना को अपलोड करने का कष्ट करें।
- 7-कार्यालय के सूचना पट्ट पर चर्चा करने हेतु।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण